



**COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL
SCIENCE, BIKANER**

Ph.No. 0151 - 2204123(O) 2205123 (Fax)

E-mail Address - Cvas901@gmail.com

No.VCB/Acctts/Pur/2020/ 28-39

Dated-

21-5-2020

सीमित निविदा सूचना -02 (वर्ष 2020-2021)


कॉलेज परिसर में एकत्रित कचरे के ढेरों/कचरा पात्र में एकत्रित कचरे को उठाने हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है । सीमित निविदा की वित्तीय सीमा रू0. 2.00 लाख के अन्दर-अन्दर होगी । सीमित निविदा अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के नाम से दिनांक 03.6.2020 को सुबह 11.30 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 03.6.2020 को दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता कक्ष में गठित कमेटी द्वारा खोली जावेगी । सीमित निविदा की शर्तें सलग्न है ।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि:-

1. नोडल अधिकारी, एस0पी0पी0पी0 / निसाजीनेट, राजुवास, बीकानेर ।

सहायक लेखाधिकारी, सी.वी.ए.एस., बीकानेर



COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, BIKANER

Ph.No. 0151 - 2204123(O) 2205123 (Fax)

E-mail Address - Cvas901@gmail.com

No.VCB/Acctts/Pur/2020/ 28-39

Dated- 21.5.2020

कॉलेज परिसर में एकत्रित कचरे के ढेरों को उठाने बाबत सीमित निविदा की शर्तें

1. निविदादाता द्वारा कोई भी सशोधन या प्रस्ताव अस्वीकार्य है। निविदादाता प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत होने के बाद सभी निविदा की शर्तें व नियमों के लिये बाध्य होंगे।
2. प्रस्तावित निविदा मोहरबन्द लिफाफे में बंद होनी चाहिये एवं अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर मय विवरण लिफाफे पर लिखकर प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदा की अवधि 31.3.2021 तक मान्य होगी तथा आवश्यकतानुसार दोनों की सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
4. बिलों का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा बिल कोषागार से पारित होने पर भी भुगतान किया जा सकेगा। नियमानुसार बिलों में से टी.डी.एस. काटकर भुगतान किया जायेगा।
5. कॉलेज परिसर में विभिन्न स्थानों पर एकत्रित किये हुए कचरे के ढेरों/कचरा पात्र में एकत्रित कचरे को इंचार्ज बिल्डिंग के निर्देशानुसार एक स्थान पर डालने एवं समय-समय पर परिसर से दूर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा। यह स्थान जनस्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त एवं सुरक्षित होगा इसकी जिम्मेवारी भी ठेकेदार की ही होगी।
6. एकत्रित किये हुए कचरे के ढेरों को ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा ही उठाकर ट्रैक्टर ट्रौली (न्यूनतम साईज 10' x 6' x 2.5) खुद के साधनों से ही डालना होगा एवं सुनिश्चित जगह पर खाली करना होगा। ट्रैक्टर ट्रौली (न्यूनतम साईज 10' x 6' x 2.5) ठेकेदार द्वारा ही उपलब्ध करवाया जायेगा। ट्रैक्टर ट्रौली में लगने वाला डीजल व ड्राईवर इत्यादि का खर्चा निविदादाता को वहन करना होगा।
7. उपरोक्त कार्य नियमित रूप से ही करना होगा। प्रभारी द्वारा नियमित रूप से जाँच की जायेगी एवं कार्य के संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रभारी द्वारा की गई शिकायत एवं सिफारिश पर (कचरा उठाया हुआ नहीं पाये जाने पर) ठेके के बिल में से पेनेल्टी के रूप कटौती की जायेगी। पेनेल्टी कटौती की दर निम्न प्रकार से है।
 - अ. प्रथम बार डिफाल्ट होने पर ट्रैक्टर ट्रौली कचरा उठाने के भुगतान का 20 प्रतिशत।
 - ब. द्वितीय बार डिफाल्ट होने पर ट्रैक्टर ट्रौली कचरा उठाने के भुगतान का 40 प्रतिशत।
 - स. तृतीय बार डिफाल्ट होने पर ट्रैक्टर ट्रौली कचरा उठाने के भुगतान का 60 प्रतिशत।
 - द. चौथे बार डिफाल्ट होने पर ट्रैक्टर ट्रौली कचरा उठाने के भुगतान का 80 प्रतिशत।
 - य. पांचवें बार डिफाल्ट होने पर ट्रैक्टर ट्रौली कचरा उठाने के भुगतान का 100 प्रतिशत।
8. निविदादाता द्वारा अपने फर्म के लेटरपेड पर उक्त कार्य हेतु दर प्रति ट्रैक्टर ट्रौली (न्यूनतम साईज 10' x 6' x 2.5) के हिसाब से प्रस्तुत करे।
9. श्रम विभाग व लैबर कांट्रैक्ट एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल के नियमों, नगर निगम के नियमों आदि के तहत समस्त कानूनी देनदारी व जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
10. श्रम विभाग में पंजीकरण होने का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
11. जी.एस.टी. पंजीकरण होने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
12. किसी भी तरह का विवाद न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।
13. अधिष्ठाता द्वारा ठेका किसी भी समय बिना किसी कारण बतलाये निरस्त किया जा सकेगा।
14. उपरोक्त शर्तों के अलावा राजुवास की सामान्य निविदा शर्तें व आरटीपीपी एक्ट 2012 व नियम 2013 लागू होंगे।

सहायक लेखाधिकारी
सी0वी0ए0एस0, बीकानेर